(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के लाइसेंस प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और वर्ष 1991 के दौरान इस प्रकार के कुल कितने लाइसेंस प्रदान किए गए ; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) :(क)से(घ) वर्ष 1991-92 का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन रेल मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या गाडियों में बड़ी संख्या में अनधिकृत बेंडरों से निर्धारित शुल्क वसूल करके उन्हें अपना सामान बेचने के लिए लाइसेंस दिए जा सकते हैं ।

इस मामले की गहराई से जांच की गई है और फिलहाल इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

वैशाली एक्सप्रैस में पुलिस द्वारा यात्रियों से धन ऐंठा जाना

2867. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैशाली एक्सप्रेस में पुलिस द्वारा यात्रियों से धन ऐंठने की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कारवाई की है ; और

(ग) पुलिस के दोषी सिपाहियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) :(क)से (ग) राजकीय रेलवे पुलिस, जो रेलगाडियों में अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच-पड़ताल करने पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है । चूक करने वाले जी.आर.पी. अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है ।

Exteration of Naucliandi Express train upto Allahabad

286s, SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Nau-charvli Exipress" train originally started Co run between Meerut and Lucknow has been extended up to Allahabad;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a feet that from April 1, 1993 this train will start from Saharanpur instead of Meerut;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) whether Government have received any representations from Meerut citizens and travelling public against the move to start the train from Saharanpur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LANKA): (a) Yes, Sir.

(b) Public demands.

(c) Yes, Sir. w.e.f. 1-7-93.

(d) Public demands.

(e) Some representations have been received in this regard.

Electrification of Barasat-Hasnabad section

2869. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering electrification of Barasat-Hasnabad section of Sealdah Division of Eastern Railway;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for neglecting this section?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Due to low traffic density, const raint of resources and relative priority for electrification of other high density routes, there is, at present, no proposal to electrify Barasat-Hasnabad section.

Work-load in Hubli Work shop of Railways

2870. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Hubli Work Shop the workload has come down due to phasing oui, of steam engines and conversion programme from Metre gauge to Broad gauge:

(b) what is workers strength and how many of them are being considered to be transferred out-side; and

(c) whether Government are consider ing to diversify and modernise the acti vities of the workshop to meet the pre sent day needs of Railways and also to protect interest; of the workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) Yes, Sir.

(b) Workers' strength of Hubli Work Shop is, 3745. There is currently no proposal to transfer any workers cut-side.

(c) It is proposed to conduct a survey for examining the feasibility of diversifying the activities of Hubli Workshop.

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों को पुनः रोजगार दिया जाना

2871. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भाप इंजिनों को हटाए जाने के कारण फालतू होने वाले ठेका श्रमिकों और नैमित्तिक कामगारों को पुनः काम पर लगाए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या लोको शैड में कोयला और राख को उठाने-रखने से संबंधित कार्य का स्वरूप स्थायी था ;

(ग) क्या भाप इंजनों में कोयला और राख को उठाने-रखने से संबंधित कार्य करने वाले ठेका मजदूरों को पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी रेलवे सहित अन्य रेलवे मण्डलों में इन कामगारों नियुक्त न किए जाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका): (क) दिहाड़ी मजदूरों को भ.प इंजनों से संबंधित कार्यकलापों में लगाने की कोई परिपाटी नहीं है , जहां तक ठेकेदारों के श्रमिकों का संबंध है ये ठेकेदारों कर्मचारी होते हैं और उनकी पुनर्नि- रेलों का दायित्व नहीं है ।

(ख) जी नहीं, यद्यपि यह कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है परंतु यह नियमित प्रकृति का काम नहीं है और दिन-प्रतिदिन इसकी मात्रा में बहुत अधिक कमी-बेशी होती रहती है और अबतो भाप कर्षण को अधिकांशतः समाप्त कर दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।